राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर विकसित होगा राज्य राजधानी क्षेत्र

- विधानसभा से उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) व अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2024 पारित
- लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली व बाराबंकी के लोग होंगे लाभान्वित

राज्य ब्यूरो, जागरण● लखनऊ : एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) प्लानिंग बोर्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र(एससीआर) के गठन संबंधी उप्र राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) व अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक-2024 बुधवार को शोर-शराबे के बीच विधान सभा में पारित हो गया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही उप्र राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक-2024, उप्र नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक-2024, बोनस संदाय (उप्र संशोधन) विधेयक-2024 व कारखाना (उप्र संशोधन) विधेयक-2024 भी पारित किए गए।

वैसे तो अध्यादेश के माध्यम से सात मार्च को ही एससीआर के गठन का रास्ता साफ हो गया था लेकिन अब अधिनियम बनाने के लिए सरकार ने बुधवार को विधान सभा में संबंधित विधेयक पारित कराया है। राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली व बाराबंकी को मिलाकर होगा। सभी छह जिलों के 27, 860 वर्ग किमी क्षेत्र को शामिल कर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। इससे इन जिलों का उचित, व्यवस्थित व त्वरित विकास होगा। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण अपने क्षेत्र के लिए संबंधित विकास प्राधिकरण, निगम, स्थानीय निकाय व विभिन्न सरकारी विभागों के समन्वय से क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास व गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं, जनसुविधाओं का पूरे क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार विकास होगा। यातायात भी बेहतर होगा। उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी।

गौरतलब है कि एससीआर के गठन के साथ ही सरकार उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण(एससीआरडीए) भी बना चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले एससीआरडीए के उपाध्यक्ष मुख्य सचिव बनाए गए हैं। इसके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन सहित सभी प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/पदेन सचिव प्राधिकरण के सदस्य हैं। एससीआरडीए में लखनऊ व अयोध्या के मंडलायुक्त, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी के जिलाधिकारी, लखनऊ, उन्नाव-शुक्लागंज व रायबरेली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी बतौर सदस्य शामिल किए गए हैं।

प्रदेश में चार और विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित होंगे

विधानसभा से पारित उप्र नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक-2024 के तहत सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए चार विशेष निवेश क्षेत्र (एसआइआर) और स्थापित करने जा रही है। यह क्षेत्र अलीगढ़ में पश्चिमांचल एसआइआर, उन्नाव में मध्यांचल एसआइआर, प्रयागराज व चित्रकूट में पूर्वांचल एसआइआर व झांसी में बुंदेलखंड एसआइआर में विकसित किए जाएंगे।

इसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निर्माण बोर्ड का भी गठन होगा जिसके उपाध्यक्ष औद्योगिक विकास मंत्री होंगे। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आइआइडीसी) की अध्यक्षता में निर्माण क्षेत्र समिति होगी। इसका कार्य निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान को अनुमोदित करना होगा। निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत सरकार एक सीईओ व न्यूनतम दो एसीईओ रखेगी। उद्योग विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि एवं अन्य विभागों के संबंधित सदस्य के साथ ही अन्य शासकीय एवं गैर शासकीय सदस्य शामिल होंगे। निर्माण क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा। इससे राज्य में विशिष्ट उद्योगों एवं क्षेत्रों पर केंद्रित विशेष क्लस्टर स्थापित होंगे। प्रत्येक विशेष निवेश क्षेत्र की स्थापना के लिए रिवाल्विंग फंड के रूप में सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

बोनस अधिनियम के प्रविधानों के उल्लंघन पर अब सिर्फ जुर्माना

बोनस संदाय (उप्र संशोधन) विधेयक 2024 के तहत बोनस अधिनियम के प्रविधानों के उल्लंघन पर अब सेवायोजकों को कारावास की सजा नहीं होगी। इसके सजा के स्थान पर जुर्माना का प्रविधान किया गया है। इसके लिए प्राधिकारी तैनात किए जाएंगे। उन्हीं के माध्यम से उपशमन की कार्यवाही की जाएगी। अभी तक बोनस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाता था।

कारखाने में 12 घंटे काम की अनुमति

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और आर्थिक क्रियाकलापों के लिए कारखाना अधिनियम में बदलाव संबंधी पारित कारखाना (उप्र संशोधन) विधेयक-2024 के तहत किसी कारखाने में कर्मचारी के कार्य के घंटों की संख्या किसी दिन नौ घंटों से बढ़ाकर 12 घंटे की अनुमति दी जा सकेगी। यह अनुमति सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही रहेगी। इसके अलावा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की शर्त पर महिला श्रमिकों की लिखित सहमति से दिन व रात की पाली में काम लिया जा सकेगा।